



ऊर्जा विभाग

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत बिक्री की नई दर निर्धारित की गई है, तत्संबंधित मुख्य बिन्दु निम्न हैं :-

- बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमन्त्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में अनुदान के मद में कुल 15,343 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- कुटीर ज्योति उपभोक्ता को विद्युत दर में 73%, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को 67%, शहरी घरेलू उपभोक्ता को 45%, ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ता को 27%, कृषि उपभोक्ता को 92% एवं औद्योगिक उपभोक्ता को 21% अनुदान।
- सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए विद्युत दर में 15 पैसा प्रति यूनिट की कमी।
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दर में की गई कमी से बिहार के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को वार्षिक लगभग ₹0 740 करोड़ का बचत।
- कुटीर ज्योति उपभोक्ता को ₹0 1.97 प्रति यूनिट (50 यूनिट तक) एवं अन्य ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को ₹0 2.45 प्रति यूनिट (50 यूनिट तक) तथा शहरी घरेलू उपभोक्ता को ₹0 4.12 प्रति यूनिट (100 यूनिट तक) मात्र भुगतान करना होगा।
- कृषि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दर 70 पैसा से घटाकर 55 पैसा प्रति यूनिट ही भुगतान करना होगा।
- कृषि उपभोक्ताओं के लिए उनके फसल आधारित कृषि आय को ध्यान में रखते हुए विद्युत विपन्न प्रति माह के बदले मई, अगस्त, दिसम्बर एवं मार्च के महीने में ही निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमन्त्री होमस्टे को प्रोत्साहन हेतु विद्युत संबंध गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में निर्गत करने का निर्णय लिया गया है जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

श्रेणीवार प्रति यूनिट घोषित अनुदान एवं अनुदान उपरान्त उपभोक्ताओं को श्रेणीवार प्रति यूनिट देय दर निम्नवत है:-

क्रम सं०	उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित टैरिफ				वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ					
		फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड शुल्क/ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट
A	निम्न विभव आपूर्ति										
1	घरेलू										
1.1	कुटीर ज्योति										
	मीटर सहित (0-50 यूनिट)	20	₹0/विद्युत संबंध /माह	7.42	₹0/के0डब्लू0एच0	5.45	₹0/के0डब्लू0एच0	20	₹0/विद्युत संबंध /माह	1.97	₹0/के0डब्लू0एच0
	मीटर सहित (50 यूनिट से ऊपर)										
1.2	घरेलू-1 (ग्रामीण)										
	मीटर सहित										
	0-50 यूनिट	40	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	7.42	₹0/के0डब्लू0एच0	4.97	₹0/के0डब्लू0एच0	40	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	2.45	₹0/के0डब्लू0एच0
	50 यूनिट से अधिक	40	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	7.96	₹0/के0डब्लू0एच0	5.11	₹0/के0डब्लू0एच0	40	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	2.85	₹0/के0डब्लू0एच0
1.3	घरेलू-2 (शहरी-गॉग आधारित)										
	1-100 यूनिट	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	7.42	₹0/के0डब्लू0एच0	3.30	₹0/के0डब्लू0एच0	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	4.12	₹0/के0डब्लू0एच0
	100 यूनिट से अधिक	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	8.95	₹0/के0डब्लू0एच0	3.43	₹0/के0डब्लू0एच0	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	5.52	₹0/के0डब्लू0एच0
1.4	घरेलू-3 (शहरी-गॉग आधारित 74 कि0वा0 तक) ऐच्छिक										
	घरेलू-3 (शहरी-गॉग आधारित 74 कि0वा0 तक) ऐच्छिक	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	9.03	₹0/के0डब्लू0एच0	3.61	₹0/के0डब्लू0एच0	80	₹0/किलोवाट और उसका भाग/माह	5.42	₹0/के0डब्लू0एच0

क्रम सं०	उपमोक्षा श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीईओआरसीओ द्वारा अनुमोदित टैरिफ				राज्य सरकार द्वारा अनुदान				वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ			
		फिससड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिससड शुल्क / ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिससड शुल्क	यूनिट	फिससड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट
2	गैर घरेलू												
2.1	गैर घरेलू-1 (ग्रामीण)												
	मीटर सहित												
	1-100 यूनिट	60	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	7.79	रु०/कैडब्ल्यूएच	4.44	रु०/कैडब्ल्यूएच		60	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	3.35	रु०/कैडब्ल्यूएच	
	100 यूनिट से अधिक	60	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	8.21	रु०/कैडब्ल्यूएच	4.00	रु०/कैडब्ल्यूएच		60	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	4.21	रु०/कैडब्ल्यूएच	
2.2	गैर घरेलू-2 (मॉंग आधारित)												
	सविदा मॉंग 0.5 किलोवाट तक	200	रु०/विद्युत संबंध / माह	7.73	रु०/कैडब्ल्यूएच	2.06	रु०/कैडब्ल्यूएच		200	रु०/विद्युत संबंध / माह	5.67	रु०/कैडब्ल्यूएच	
	सविदा मॉंग 0.5 किलोवाट से ऊपर 70 किलोवाट तक)												
	1-100 यूनिट	300	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	7.73	रु०/कैडब्ल्यूएच	2.06	रु०/कैडब्ल्यूएच		300	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	5.67	रु०/कैडब्ल्यूएच	
	100 यूनिट से अधिक	300	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	8.93	रु०/कैडब्ल्यूएच	2.49	रु०/कैडब्ल्यूएच		300	रु०/किलोवाट और उसका भाग/माह	6.44	रु०/कैडब्ल्यूएच	
3	कृषि एवं सिंचाई सेवा (सम्बद्ध भार आधारित)												
3.1	कृषि एवं सिंचाई-1 (निजी नलकूप) (सम्बद्ध भार)												
	मीटर सहित	1,350	रु०/एचपीओ और उसका भाग/माह			1,266	रु०/एचपीओ/माह		84	रु०/एचपीओ और उसका भाग/माह			
	मीटर सहित	100	रु०/एचपीओ और उसका भाग/माह	6.74	रु०/कैडब्ल्यूएच	100	रु०/एचपीओ और उसका भाग/माह		0	रु०/एचपीओ और उसका भाग/माह			
3.2	कृषि एवं सिंचाई-2 (सरकारी नलकूप) (सम्बद्ध भार)												
	मीटर सहित	500	रु०/कैडब्ल्यूएच और उसका भाग/माह	7.17	रु०/कैडब्ल्यूएच	500	रु०/कैडब्ल्यूएच		0	रु०/कैडब्ल्यूएच और उसका भाग/माह			
4	निम्न विभव औद्योगिक सेवा (मॉंग आधारित)												
						6.67	रु०/कैडब्ल्यूएच				0.50	रु०/कैडब्ल्यूएच	

क्रम सं०	उपमोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीईओआरसीओ द्वारा अनुमोदित दैनिक				राज्य सरकार द्वारा अनुदान				वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू दैनिक				
		फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड शुल्क / ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क
4.1	निम्न विभव औद्योगिक सेवा-1 (0-19 किलोवाट) (समी युनिट)	288	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	7.79	₹0/के0वी0ए0एच0	1.77	₹0/के0वी0ए0एच0	288	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	6.02	₹0/के0वी0ए0एच0			
4.2	निम्न विभव औद्योगिक सेवा-2 (20-74 किलोवाट) (समी युनिट)	360	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	7.79	₹0/के0वी0ए0एच0	1.79	₹0/के0वी0ए0एच0	360	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	6.00	₹0/के0वी0ए0एच0			
5	पी0डब्लू0डब्लू0-पब्लिक वाटर वर्क्स (मॉंग आधारित)													
5.1	पी0डब्लू0डब्लू0 (समी युनिट)	630	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	9.72	₹0/के0वी0ए0एच0	0	₹0/के0वी0ए0एच0	630	₹0/के0वी0ए0 और उसका भाग / माह	9.72	₹0/के0वी0ए0एच0			
5.2	हर घर नल (लॉड आधारित)	100	₹0/एच0पी0 और उसका भाग / माह	8.16	₹0/के0डब्लू0एच0	100	₹0/एच0पी0 और उसका भाग / माह	0	₹0/एच0पी0 और उसका भाग / माह		₹0/के0डब्लू0एच0			
6	एल0टी0 ई0पी0 चार्जिंग स्टेशन (समी युनिट)	0		8.72	₹0/के0वी0ए0एच0	1.72	₹0/के0वी0ए0एच0	0	₹0/के0वी0ए0एच0	7.00	₹0/के0वी0ए0एच0			
7	स्ट्रीट लाईट सेवा													
7.1	एस0एस0-मीटर सहित	100	₹0/किलोवाट और उसका भाग / माह	9.03	₹0/के0डब्लू0एच0	0	₹0/के0डब्लू0एच0	100	₹0/किलोवाट और उसका भाग / माह	9.03	₹0/के0डब्लू0एच0			
7.2	एस0एस0-मीटर रहित	4,250	₹0/किलोवाट और उसका भाग / माह			0	₹0/के0डब्लू0एच0	4,250	₹0/किलोवाट और उसका भाग / माह	0.00	₹0/के0डब्लू0एच0			
B	उच्च विभव - सामान्य													
1	उच्च विभव सेवा-1 (11 के0वी0) (समी युनिट)	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.98	₹0/के0वी0ए0एच0	1.58	₹0/के0वी0ए0एच0	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	6.40	₹0/के0वी0ए0एच0			
2	उच्च विभव सेवा-2 (33 के0वी0) (समी युनिट)	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.92	₹0/के0वी0ए0एच0	1.57	₹0/के0वी0ए0एच0	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	6.35	₹0/के0वी0ए0एच0			
3	उच्च विभव सेवा-3 (132 के0वी0) (समी युनिट)	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.85	₹0/के0वी0ए0एच0	1.55	₹0/के0वी0ए0एच0	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	6.30	₹0/के0वी0ए0एच0			
4	उच्च विभव सेवा-4 (220 के0वी0) (समी युनिट)	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.79	₹0/के0वी0ए0एच0	1.54	₹0/के0वी0ए0एच0	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	6.25	₹0/के0वी0ए0एच0			
5	उच्च विभव सेवा-5 (400 के0वी0) (समी युनिट)	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.72	₹0/के0वी0ए0एच0		₹0/के0वी0ए0एच0	550	₹0/के0वी0ए0 / माह	7.72	₹0/के0वी0ए0एच0			

क्रम सं०	उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीडईआरसी० द्वारा अनुमोदित टैरिफ			राज्य सरकार द्वारा अनुदान			वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ				
		फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड शुल्क/ऊर्जा शुल्क	यूनिट	फिक्सड चार्ज	यूनिट	ऊर्जा शुल्क		
C	उच्च विभव औद्योगिक सेवा											
1	उच्च विभव औद्योगिक सेवा-1 (11 के०वी०) (सभी युनिट)	550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.98	₹०/के०वी०ए०एच०	1.58	₹०/के०वी०ए०एच०	550	₹०/के०वी०ए०/माह	6.40	₹०/के०वी०ए०एच०	
2	उच्च विभव औद्योगिक सेवा-2 (33 के०वी०) (सभी युनिट)	550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.92	₹०/के०वी०ए०एच०	1.57	₹०/के०वी०ए०एच०	550	₹०/के०वी०ए०/माह	6.35	₹०/के०वी०ए०एच०	
3	उच्च विभव औद्योगिक सेवा-3 (132 के०वी०) (सभी युनिट)	550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.85	₹०/के०वी०ए०एच०	1.55	₹०/के०वी०ए०एच०	550	₹०/के०वी०ए०/माह	6.30	₹०/के०वी०ए०एच०	
4	उच्च विभव औद्योगिक सेवा-4 (220 के०वी०) (सभी युनिट)	550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.79	₹०/के०वी०ए०एच०	1.54	₹०/के०वी०ए०एच०	550	₹०/के०वी०ए०/माह	6.25	₹०/के०वी०ए०एच०	
5	उच्च विभव औद्योगिक सेवा-5 (400 के०वी०) (सभी युनिट)	550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.72	₹०/के०वी०ए०एच०			550	₹०/के०वी०ए०/माह	7.72	₹०/के०वी०ए०एच०	
6	उच्च विभव औद्योगिक विशेष सेवा (11/33 के०वी०) (सभी युनिट)	800	₹०/के०वी०ए०/माह	4.94	₹०/के०वी०ए०एच०	1.08	₹०/के०वी०ए०एच०	800	₹०/के०वी०ए०/माह	3.86	₹०/के०वी०ए०एच०	
7	उच्च विभव औद्योगिक विशेष सेवा (132/220 के०वी०) (सभी युनिट)	800	₹०/के०वी०ए०/माह	4.94	₹०/के०वी०ए०एच०			800	₹०/के०वी०ए०/माह	4.94	₹०/के०वी०ए०एच०	
8	उच्च विभव सेवा -1 (11 के०वी०) (आवसीजन मैनुफैक्चर्स) (सभी युनिट)	1,000	₹०/के०वी०ए०/माह	5.43	₹०/के०वी०ए०एच०	1.08	₹०/के०वी०ए०एच०	1,000	₹०/के०वी०ए०/माह	4.35	₹०/के०वी०ए०एच०	
9	उच्च विभव सेवा -1 (33 के०वी०) (आवसीजन मैनुफैक्चर्स) (सभी युनिट)	1,000	₹०/के०वी०ए०/माह	5.37	₹०/के०वी०ए०एच०	1.08	₹०/के०वी०ए०एच०	1,000	₹०/के०वी०ए०/माह	4.29	₹०/के०वी०ए०एच०	
10	रेलवे ट्रेक्शन सेवा (132 के०वी०) (सभी युनिट)	540	₹०/के०वी०ए०/माह	8.16	₹०/के०वी०ए०एच०	0	₹०/के०वी०ए०एच०	540	₹०/के०वी०ए०/माह	8.16	₹०/के०वी०ए०एच०	
11	एच०टी० ई०टी० चार्जिंग स्टेशन (सभी युनिट)	0	₹०/के०वी०ए०/माह	7.85	₹०/के०वी०ए०एच०	1.55	₹०/के०वी०ए०एच०	0	₹०/के०वी०ए०/माह	6.30	₹०/के०वी०ए०एच०	

* चाई विद्युत दर आदेश दिनांक 01.04.2024 की तिथि से प्रभावी है।

नोट :- ऑन लाईन माध्यम से देय तिथि के पहले भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 2.5% एवं 3% (प्रिपेड मीटर) लाभ दिया जाएगा।

उपभोक्ता सुविधा टॉल फ्री नं०- 1912

हमारा आधार..... उज/स्वत बिहार